राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,

27 फरवरी, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.30 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

श्री अध्यक्ष: उप सचिव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पेपर ले करने का आदेश देने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

उप सचिव (विधान सभा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी अनुमति हो तो, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः विराजें प्लीज।

राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

उप सचिव (विधान सभा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैः-

(अ) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010

(ब) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011
2. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011
3. जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011
4. आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011
5. प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011
6. सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011
7. मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011
8. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011
9. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011
10. राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011
11. राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011
12. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011
13. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011
14. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

श्री अध्यक्षः अध्यादेश। डा. दयाराम परमार।

अध्यादेश

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूंः-

(डा. दयाराम परमार)

1. गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्याक-10),
2. अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्याक-11)
3. महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्याक-1)

निलम्बन निरस्तीकरण

भवानी सिंह राजावत, श्री, सदस्य के निलम्बन की समाप्ति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा, विधान सभा का गत सत्र भारी उत्तेजना और तनाव से स्थगित हुआ था और उस समय सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा लाडपुरा से आने वाले हमारे दल के माननीय सदस्य का एक साल का निलम्बन का प्रस्ताव भी रखा गया जो पारित हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह निलम्बन राजस्थान की इस विधान सभा के इतिहास का सबसे लंबी अवधि का निलम्बन बन गया। इस राजस्थान विधान सभा का संसदीय लोकतंत्र का शानदार इतिहास रहा है, यहां की गरिमा रही है। पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, हम सभी पक्षधर हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, आसन की गरिमा बनी रहे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से, सदन के नेता महोदय से कि बड़ा मन रखते हुए इस निलम्बन प्रस्ताव को रद्द करने का प्रस्ताव लेकर आएं ताकि माननीय सदस्य भी कार्यवाही में भाग ले सकें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, अब उदारमना होकर आपको इस पर विचार करना चाहिए और आपको भी निर्देशित करना चाहिए कि इस तरह का प्रस्ताव आए तो सदन सौहार्दपूर्ण तरीके से चले, तर्कों के आधार पर हम अपनी बात यहां रखें, अच्छे वातावरण में चले, यह हम सब लोगों का मानना है। इसीलिए प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता के बीच में बात हो चुकी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लाडपुरा (कोटा) के निलम्बित माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावतजी को अमर्यादित कृत्य के

(डा. रघु शर्मा)

फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया गया था। इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परम्परा रही है, फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आये हैं जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलम्बित करने संबंधी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे और इस सदन की गौरवशाली परम्परा अक्षुण्ण और यथावत् बनी रहे इस हेतु पूर्व में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा संबंधित माननीय सदस्य की ओर से खेद प्रकट करने पर निलम्बनकाल की अवधि को समाप्त किया गया है। अतः पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए मैं यह प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत का निलम्बन अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य विधान सभा का निलम्बन समाप्त करने संबंधी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

निलम्बन समाप्ति संबंधी प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए चैक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हैवल, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी, केरल के राज्यपाल श्री एम.ओ.एच. फारूक, बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद, कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एस. बंगारप्पा, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री खेत सिंह राठौड़ एवं श्री सुजान सिंह यादव, पूर्व उप मंत्री श्री मुल्कराज थिंद तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मानसिंह देवड़ा, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री सैयद मंजूर अली, श्रीमती कान्ता कथूरिया, श्रीमती शिव कुमारी एवं श्री लक्ष्मण हीरात के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

वाक्लाव हैवल, श्री, पूर्व राष्ट्रपति, चैक गणराज्य

चैक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति श्री वाक्लाव हैवल का जन्म 5 अक्टूबर, 1936 को चैकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में हुआ। बौद्धिक एवं सम्पन्न विरासत के धनी श्री हैवल ने चैक टैक्निकल यूनिवर्सिटी, प्राग से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। राजनीतिक विचारों एवं गतिविधियों के कारण आपने अनेक बार जेल यात्राएं कीं। नाटककार, कवि व लेखक श्री हैवल विभाजन से पूर्व वर्ष 1989 से 1992 तक चैकोस्लोवाकिया के अंतिम राष्ट्रपति तथा विभाजन के पश्चात् वर्ष 1993 से 2003 तक चैक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे। श्री हैवल अपने देश के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय रहे।

श्री हैवल को उनके विश्व शांति को बढ़ावा देने तथा गांधीवादी तरीकों से मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के सक्रिय प्रयासों व योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में अन्तरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का 'प्रेजीडेन्शियल मैडल आफ फ्रीडम' तथा एमनेस्टी इन्टरनेशनल का आरम्भिक 'एम्बेसेडर आफ कांशंस' सहित अनेक सम्मान प्रदान किये गये।

श्री वाक्लाव हैवल का 75 वर्ष की आयु में दिनांक 18 दिसम्बर, 2011 को अपने गृह राज्य हराडिसेक में निधन हो गया।

बुरहानुद्दीन रब्बानी, श्री, पूर्व राष्ट्रपति, अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी का जन्म वर्ष 1940 में उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शन में हुआ। आपने अल-अजहर विश्वविद्यालय, काहिरा से इस्लामिक-दर्शन में स्नातकोत्तर तथा मिस्र से पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं। वर्ष 2004 में आपको अफगानिस्तान के अकादमिक तथा विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी सितम्बर, 1996 से नवम्बर, 2001 तक उत्तरी गठबंधन के प्रेसीडेन्ट रहे। आप जून, 1992 से सितम्बर, 1996 तक तथा नवम्बर से दिसम्बर, 2001 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्री रब्बानी ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय योगदान किया।

(श्री अध्यक्ष)

अफगानिस्तान की जनता के कल्याण तथा देश में शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे श्री रब्बानी अफगानिस्तान की शीर्ष शांति परिषद् के प्रमुख रहे।

दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को श्री बुरहानुद्दीन रब्बानी के घर हुए आत्मघाती हमले में उनका निधन हो गया।

एम.ओ.एच. फारूक, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, पांडिचेरी एवं राज्यपाल, केरल

केरल के राज्यपाल श्री एम.ओ.एच. फारूक का जन्म 6 सितम्बर, 1937 को पुडुचेरी के करिकल में हुआ। आपने लोयोला कालेज, चेन्नई से बी.ए. (अर्थशास्त्र) की उपाधि प्राप्त की।

श्री एम.ओ.एच. फारूक 1964 से 1991 तक पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य रहे। श्री फारूक वर्ष 1964 से 1967 तथा वर्ष 1980 से 1985 तक दो बार पांडिचेरी विधान सभा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1967 से 1968, 1969 से 1974 तथा 1985 से 1990 तक तीन बार मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। आप मार्च से दिसम्बर, 1990 तक पांडिचेरी विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री फारूक दसवीं, ग्यारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। दसवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप जून, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। अपने दीर्घ संसदीय जीवन में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसदीय दल के उप सचेतक तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री फारूक 22 जनवरी, 2010 से 7 सितम्बर, 2011 तक झारखण्ड के राज्यपाल रहे। आपको 8 सितम्बर, 2011 को केरल का राज्यपाल बनाया गया। आप इस पद पर मृत्यु पर्यन्त आसीन रहे।

कुशल प्रशासक श्री फारूक सितम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2009 तक सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तथा विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों एवं सेमिनारों में आपने भाग लिया। आपने छात्र जीवन में ही वर्ष 1953-54 के दौरान फ्रांसीसी उपनिवेश से पांडिचेरी को आजादी दिलाने के लिए हुए आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा आन्दोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। श्री फारूक वर्ष 1975 से 2004 तक मुम्बई केन्द्रीय हज समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री एम.ओ.एच. फारूक का दिनांक 26 जनवरी, 2012 को निधन हो गया।

भागवत झा आजाद, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, बिहार

बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद का जन्म 28 नवम्बर, 1922 को बिहार के गोड्डा जिले के मेहरामा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा बी.एल. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री भागवत झा आजाद पहली, तीसरी से पांचवीं तथा सातवीं एवं आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। श्री आजाद अपने दीर्घ संसदीय जीवन में अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे। आप पांचवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान प्राक्कलन समिति के सभापति भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री आजाद फरवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक बिहार के मुख्य मंत्री रहे। आप केन्द्र सरकार में शिक्षा, श्रम, रोजगार तथा आपूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालयों के राज्य मंत्री रहे। श्री आजाद वर्ष 1982 से 1984 तक श्रम, नागर विमानन तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी रहे।

छात्र जीवन में ही राजनीति से जुड़े श्री आजाद वर्ष 1950 में बिहार प्रोविन्शियल स्टूडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आप बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

श्री आजाद ने विदेशों में आयोजित अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। आपने 1970 में जिनेवा में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 54वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री आजाद ने कई कविताएं लिखीं।

श्री भागवत झा आजाद का दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया।

एस. बंगारप्पा, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक

कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री एस. बंगारप्पा का जन्म दिनांक 26 अक्टूबर, 1933 को कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुबातुर में हुआ। आपने बी.ए. एवं बी.एल. की उपाधियां तथा समाज विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त किया।

श्री एस. बंगारप्पा ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप लोक सभा की रक्षा समिति, याचिका समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री बंगारप्पा

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 1967 से 1996 तक कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे। आप वर्ष 1990 से 1992 तक कर्नाटक के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। श्री बंगारप्पा कर्नाटक सरकार में गृह राज्य मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, कृषि तथा बागवानी विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। आप कर्नाटक विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे।

खेल समर्थक तथा समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री बंगारप्पा ने समाज के पददलितों, वंचितों तथा गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया। आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई नवीन समाज कल्याण परियोजनाओं को आरम्भ करवाया।

श्री एस. बंगारप्पा का दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया।

खेतसिंह राठौड़, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री खेतसिंह राठौड़ का जन्म 11 दिसम्बर, 1924 को जोधपुर जिले के चोरड़िया ग्राम में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ पहली, चौथी से सातवीं तथा दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप पहली विधान सभा में निर्दलीय तथा उसके बाद की विधान सभाओं में कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे। कुशल प्रशासक श्री राठौड़ वन, सहकार, सिंचाई, गृह, जेल, नागरिक सुरक्षा, आयोजना, ऊर्जा, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन तथा भू-तल जल मण्डल विभागों के उप मंत्री रहे। आप 1973 से 1977 तक निर्वाचन, भाषा, विधि एवं न्याय, शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा 1982 से 1985 तक चिकित्सा, संसदीय कार्य, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य तथा 1998 से 2003 तक निर्वाचन, विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य विभाग सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे।

संसदीय मूल्यों के समर्थक श्री राठौड़ ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। आप वर्ष 1972 से 1977 तथा वर्ष 1980 से 1985 तक सरकारी मुख्य सचेतक रहे। आप प्रतिपक्ष के सचेतक भी रहे। सरल स्वभाव के धनी श्री राठौड़ सदन में व्याप्त गम्भीर वातावरण को भी सहज करने की क्षमता रखते थे। लोकतंत्र,

(श्री अध्यक्ष)

धर्म निरपेक्षता और समाजवादी समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध श्री राठौड़ सदन में जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव गम्भीर रहते थे।

समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले श्री राठौड़ राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी भाषा के विकास के लिए भी प्रयासरत रहे। आप लगभग 16 वर्षों तक जोधपुर के जिला प्रमुख भी रहे। अनेक देशों की यात्रा करने वाले श्री राठौड़ अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ का दिनांक 15 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया।

सुजान सिंह यादव, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री सुजान सिंह यादव का जन्म 26 जनवरी, 1930 को अलवर जिले के ग्राम रामसिंहपुरा में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री सुजान सिंह यादव सातवीं, आठवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप सातवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 1985 से 1988 तक गृह, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, भूजल, सूचना एवं जन सम्पर्क विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास नगर आयोजना, स्वायत्त शासन तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का स्वतंत्र प्रभार रहा। श्री यादव जून से दिसम्बर, 1989 तक मत्स्य पालन, राज्य लाटरी, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा विशिष्ट योजना विभाग के राज्य मंत्री भी रहे। दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 1993 से 1998 तक सहकारिता, कृषि, सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं कृषि विपणन विभाग के मंत्री रहे।

श्री यादव भूमि विकास बैंक, अलवर के संचालक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट एवं टैरिटोरियल आर्मी के सदस्य रहे। आप अवैतनिक सैनिक सहायक भर्ती अधिकारी भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री यादव बहरोड़ आर्य समाज के अध्यक्ष तथा बहरोड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्माण समिति के सदस्य भी रहे।

श्री सुजान सिंह यादव का दिनांक 13 जनवरी, 2012 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

मुल्कराज थिंद, श्री, पूर्व उप मंत्री

पूर्व उप मंत्री श्री मुल्कराज थिंद का जन्म 1 अक्टूबर, 1931 को पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ। आपने पंजाब के जालंधर से एफ.ए. तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री मुल्कराज थिंद चौथी तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में रायसिंहनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। श्री थिंद अक्टूबर, 1967 से अगस्त, 1968 तक संसदीय सचिव तथा अगस्त, 1968 से जून, 1970 तक राजस्थान सरकार में नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभाग के उप मंत्री रहे।

श्री थिंद अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1957 से 1961 तक गजसिंहपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे। दलितों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे श्री थिंद दलित सेवा संघ, बीकानेर के प्रधान तथा अनुसूचित जाति सेवा संघ के मंत्री एवं महामंत्री रहे। आप युवक कांग्रेस कमेटी के मंत्री, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के अध्यक्ष भी रहे।

श्री मुल्कराज थिंद का दिनांक 6 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया।

मानसिंह देवड़ा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मानसिंह देवड़ा का जन्म 18 जुलाई, 1938 को जोधपुर के मण्डोर में हुआ। आपने श्री सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर से हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मानसिंह देवड़ा सातवीं, आठवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति तथा स्वायत्त शासन, नगर आयोजना एवं जन सम्पर्क विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री देवड़ा अपने सार्वजनिक जीवन में नगर विकास न्यास, जोधपुर तथा राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष रहे। आप नगर परिषद, जोधपुर के उपाध्यक्ष तथा जोधपुर की कारागृहों के सम्बन्धित सलाहकार समिति,

(श्री अध्यक्ष)

व्यावसायिक मार्गदर्शन समन्वय सलाहकार समिति एवं बंदियों को समय से पूर्व छोड़े जाने हेतु गठित सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

आप मयूर क्लब, जोधपुर के उपाध्यक्ष एवं सदस्य रहे। समाज सेवा में गहरी रुचि रखने वाले श्री देवड़ा ने आंखों के आपरेशन तथा चर्म रोग सम्बन्धी शिविरों के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री मानसिंह देवड़ा का दिनांक 7 सितम्बर, 2011 को निधन हो गया।

वृद्धिचन्द जैन, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री वृद्धिचन्द जैन का जन्म दिनांक 20 अप्रैल, 1942 को चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में हुआ। आपने बी.काम. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री वृद्धिचन्द जैन छठी राजस्थान विधान सभा में बड़ी सादड़ी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे।

श्री जैन अपने सार्वजनिक जीवन में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के चेयरमैन तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री जैन कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। आप सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी संघर्षरत रहे तथा जेल यात्रा भी की।

श्री वृद्धिचन्द जैन का दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को निधन हो गया।

सैयद मंजूर अली, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री सैयद मंजूर अली का जन्म 20 जुलाई, 1935 को सवाई माधोपुर में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सैयद मंजूर अली छठी राजस्थान विधान सभा के लिए सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री अली वर्ष 1960 में दीनी तालीमी कान्फ्रेंस तथा 1966 में मजलिस मुशावरत के सदस्य बने। आप 1992 से 1998 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे।

श्री सैयद मंजूर अली का दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

कान्ता कथूरिया, श्रीमती, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्रीमती कान्ता कथूरिया का जन्म 24 अगस्त, 1933 को बीकानेर में हुआ। आपने बी.एससी. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया चौथी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में कोलायत निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रहीं। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

श्रीमती कथूरिया वर्ष 1959 से 1961 तक बीकानेर नगर परिषद् की सभापति रहीं। आप वर्ष 1964 से 1967 तक बीकानेर नगर परिषद् की सदस्य भी रहीं। बीकानेर जिला परिषद की उप प्रमुख रहीं श्रीमती कथूरिया बीकानेर नगर सुधार न्यास, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथोरिटी तथा उत्तरी रेलवे कैटरिंग सुपरवाइजरी कमेटी की सदस्य रहीं। वर्ष 1973 में आपको राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का अध्यक्ष बनाया गया। श्रीमती कथूरिया वर्ष 1989 से 1995 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य रहीं। आप संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य तथा प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली श्रीमती कथूरिया भारत सेवक समाज, बीकानेर महिला जाग्रति परिषद् की सदस्य तथा बीकानेर की सिंधी पंचायत की अध्यक्ष रहीं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया का दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को निधन हो गया।

शिव कुमारी, श्रीमती, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्रीमती शिव कुमारी का जन्म 1 मार्च, 1916 को बीकानेर में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्रीमती शिव कुमारी चौथी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1967 में हुए उप चुनाव में खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुईं।

श्रीमती शिव कुमारी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आप अनेक संगठनों से सम्बद्ध रहीं। आप महारानी गायत्री देवी स्कूल की उपाध्यक्ष रहीं। श्रीमती शिव कुमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया तथा थण्डरबोल्ट राइफल

(श्री अध्यक्ष)

क्लब, बीकानेर सहित अनेक क्लबों की आजीवन सदस्य रहीं। आप रेडक्रास, कोटा की उप संरक्षक भी रहीं।

श्रीमती शिव कुमारी का दिनांक 12 जनवरी, 2012 को निधन हो गया।

लक्ष्मण हीरात, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण हीरात का जन्म 5 जुलाई, 1925 को डूंगरपुर जिले के पाल हीराता में हुआ। आपने 'विशारद' की शिक्षा प्राप्त की।

श्री लक्ष्मण हीरात पहली तथा दूसरी विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पहली विधान सभा में सराड़ा-सलूम्बर से निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा दूसरी विधान सभा में आपने गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध श्री हीरात विधान सभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

आपने वर्ष 1946 में सदकड़ी पाल में राजस्थान सेवा संघ की ऋषभदेव शाखा की ओर से अध्यापन कार्य किया।

श्री लक्ष्मण हीरात का दिनांक 26 अक्टूबर, 2011 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की।)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.58 बजे, 28 फरवरी, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

महामहिम राज्यपाल श्री शिवराज वि. पाटील के अभिभाषण की प्रति

माननीय सदस्यगण,

1. तेरहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है। आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और उम्मीद है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक विचार विमर्श प्रदेश के समग्र विकास और यहां के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में चिन्तन की दृष्टि से उपयोगी और महत्त्वदायी रहेगा।
2. हमारे लिए गर्व का विषय है कि जयपुर में सात से नौ जनवरी तक दसवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन-2012 का ऐतिहासिक सफल आयोजन किया गया, जिसमें करीब साठ देशों के लगभग दो हजार प्रवासी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित हुए।
3. मातृभूमि से नई पीढ़ी को जोड़े रखने और उन्हें यहां की विरासत से रुबरु कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रवासी भारतीयों के अठारह से अट्ठाइस आयु वर्ग के युवाओं को प्रतिवर्ष अपने प्रदेश की यात्रा हेतु योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत उनकी हवाई यात्रा के किराये की नब्बे प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
4. मुझे खुशी है कि प्रदेश की जनता को बेहतर एवं पारदर्शी शासन देने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में नीतिगत निर्णय लेकर कई नवाचार लागू किए गए हैं, जिनसे आमजन का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।
5. राज्य सरकार जनधन के समुचित सदुपयोग और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन की अवधारणा के साथ सुशासन की स्थापना में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रियों की सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। इसी तरह राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एवं अन्य अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है।
6. प्रत्येक जिले का जिला प्रभारी बनाकर उन्हें जिले में चल रही योजनाओं,

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रत्येक माह राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा है।

7. राज्य सरकार ने कई नई विकास नीतियां बनाई हैं, जिनमें कृषि प्रसंस्करण एवं व्यवसाय प्रोत्साहन, पशुधन विकास, बायोमास आधारित परियोजना की स्थापना, राज्य पर्यावरण, वन, ईको-ट्यूरिज्म, जल, आवास, नवीन उद्योग एवं निवेश, टाउनशिप पालिसी, खनिज, वादकरण तथा सौर ऊर्जा के लिये नयी नीतियां जारी की गई हैं।

8. हमारी सरकार ने गांव, गरीब और किसान की समृद्धि और खुशहाली के कार्य को अपना लक्ष्य माना है। जिससे आमजन के जीवन स्तर में सुधार आया है।

माननीय सदस्यगण,

9. राज्य सरकार ने आमजन को खाद्य सुरक्षा, आवास सुविधा, चिकित्सा सेवा और निःशुल्क शिक्षा जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'फ्लैगशिप कार्यक्रमों' की अभिनव शुरूआत की है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट एवं ''मां'' जननी शिशु सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन से आम आदमी लाभान्वित हुआ है।

10. मुझे प्रसन्नता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवम्बर, 2011 से आम जनता को समयबद्धता के साथ लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में 15 विभागों की 124 सेवाओं में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 को क्रियाशील कर दिया गया है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए जन-अभियोग निराकरण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर 'ई-सुगम परियोजना' क्रियान्वित कर दी गई है। यह सेवा एकल खिड़की के साथ ही वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ज्ञान संसाधन केन्द्रों के रूप में अब तक 245 पंचायत समितियों एवं 7 हजार 775 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है।

11. राज्य सरकार ने आमजन को बड़ी सौगात देते हुए, 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' प्रारम्भ की है। इसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज

कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। इस योजना के तहत पन्द्रह हजार निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।

12. राज्य में ग्रामीण बीपीएल परिवारों के स्वयं के आवासों की लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए 'इंदिरा आवास योजना' की तर्ज पर ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' लागू की गई है। इन दोनों कार्यक्रमों में तीन वर्षों में लगभग 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है।

13. ''मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना'' के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए हैं। एपीएल परिवारों को फोर्टीफाइड आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति निगम का गठन किया जाकर इसके माध्यम से आवश्यक वस्तुएं यथा फोर्टीफाइड आटा, चाय, आयोडीनयुक्त नमक आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।

14. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा राज्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हासिल करने में देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन तथा श्रेष्ठ वित्तीय मानकों को हासिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने पर राजस्थान की सराहना की है।

15. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2010-11 के दौरान राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद, जहां 8.39 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, वहीं राज्य की वृद्धि दर 10.97 प्रतिशत रही है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर 6.35 प्रतिशत के मुकाबले राज्य में 9.39 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

16. राज्य के सतत् विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है तथा नव प्रवर्तन हेतु राज्य नव प्रवर्तन परिषद् का गठन भी किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लक्ष्य के सापेक्ष नब्बे प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित करने पर अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान ''बहुत अच्छा'' श्रेणी में रहा है।

17. आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा रहा है। इस दृष्टि से उर्जा उत्पादन में वृद्धि, सड़कों के विकास और विस्तार, उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित सदुपयोग, जल संरक्षण एवं पेयजलापूर्ति के साथ आर्थिक विकास के लिए कृषि विस्तार और औद्योगिक विकास की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इससे निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आकृष्ट हो रहे हैं और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

18. राज्य सरकार प्राथमिकता से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कृत संकल्प है। विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण तंत्र की सुदृढ़ता के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नये विद्युत गृह स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 11 हजार 590 मेगावाट क्षमता की 14 विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। पहली बार छह सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

19. मुझे खुशी है कि बीते तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 3 हजार 380 मेगावाट की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार विद्युतीकरण के कार्य को सर्वोपरि प्राथमिकता दे रही है।

20. राजस्थान देश में सौर उर्जा के हब के रूप में विकसित हो रहा है। 'जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन' के तहत प्रथम चरण में पूरे देश में विकसित होने वाली सौर उर्जा परियोजनाओं में से राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं।

21. बांसवाड़ा जिले में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति हेतु रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु राज्य सरकार इस परियोजना के लागत की 50 प्रतिशत राशि वहन करेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण होने से आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

22. राज्य में बीते तीन वर्षों में लगभग पांच हजार किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों व जिला सड़कों तथा बीस हजार किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य किया गया है। मरुस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों के गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए लगभग ढाई हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

23. उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिए पक्के खालों का निर्माण सिद्धमुख नोहर, अमरसिंह सब ब्रांच, गंग नहर परियोजना, चम्बल एवं बीसलपुर कमाण्ड नहरी क्षेत्रों में कराया जा रहा है तथा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बेहतर जल प्रबन्ध से इन्दिरा गांधी नहर के अन्तिम छोर, जो जैसलमेर जिले में हैं, तक किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

24. सेमली फाटक, कालीखर एवं दो नदी लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। नर्मदा नहर, गंगनहर आधुनिकीकरण एवं राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना तथा मध्यम परियोजनाओं में तकली, गागरिन, ल्हासी, पीपलाद, गरडदा एवं कई लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह परवन बृहद् परियोजना, राजगढ़ एवं हथियादेह मध्यम परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट परियोजना के पाइलेट क्षेत्र व नर्मदा परियोजना में फव्वारा पद्धति के कार्य प्रगति पर हैं।

25. पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण हेतु राज्य सरकार ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार अधिक से अधिक सतही जल पर आधारित परियोजनाएं स्वीकृत करने व भूजल पर आधारित पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाने की नीति अपनाई है। अब तक 29 बृहद् परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 28 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक बाहुल्य हैबिटेशन क्षेत्रों में स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में डीफ्लोरीडेशन यूनिट लगा कर शुद्ध पेयजल का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। पुरानी व जर्जर पाइप लाइनों को बदल कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया है।

26. मुझे खुशी है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011' को पूरे राज्य में लागू करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। प्रदेश में 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों हेतु यह अधिनियम एक अप्रैल, 2011 से लागू किया गया। अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपये का नया निवेश संभावित है।

27. राष्ट्रीय महत्त्व की योजना दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना का चालीस प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है। उसके विकास हेतु DMICDC के साथ अनुबन्ध किया गया है। DMIC परियोजना के प्रथम चरण में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना क्षेत्र में Investment Region को तथा द्वितीय चरण में जोधपुर-पाली-मारवाड़ को विकसित किया जा रहा है।

28. राजस्थान में जापानी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु देश का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र जापानी जोन के नाम से नीमराना में विकसित किया गया है। जहां 13 इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है एवं इससे 6 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रदेश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान वित्त निगम द्वारा सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज पर वित्तीय सहायता हेतु योजना तथा नई 'फ्लेक्सी ऋण योजना' प्रारम्भ की गई है। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन हेतु निःशक्तजनों को 15 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत एवं महिलाओं को 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत की रियायत दी गई है। राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों, हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिये कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना'' प्रारम्भ की है।

29. राज्य के छोटे एवं मध्यम शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से पहली बार सभी शहरों के मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं।

30. जयपुर रीजन की वर्ष-2025 तक की भावी जन आवश्यकताओं तथा जयपुर को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किए जाने के मद्देनजर जयपुर के विकास की मास्टर योजना-2025 बनाकर 6 सितम्बर, 2011 से लागू की जा चुकी है। जयपुर में 'घाट की गूणी में सुरंग परियोजना' का कार्य, रामनिवास बाग में दो मंजिला पार्किंग परियोजना का कार्य एवं गुर्जर की थड़ी पर अन्डर पास का कार्य लगभग समाप्ति पर है। जिससे यातायात में भारी सुगमता आयेगी। पूरे प्रदेश में रेलवे के सहयोग से 32 रेलवे ओवर ब्रिज तथा अण्डरपास का कार्य प्रगति पर है।

31. यातायात सुधार के लिए 'मैट्रो रेल परियोजना' की क्रियान्विति हेतु मानसरोवर से चांदपोल तथा चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का कार्य DMRC के माध्यम से करवाया जा रहा है। दूसरे चरण में अम्बाबाड़ी से

सीतापुरा के सिविल कार्य, पटरी बिछाने एवं ओवरहैड ट्रेक्शन कार्य, रोलिंग स्टाफ, सिंगनलिंग, परिचालन एवं संधारण कार्य पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत किए जाने प्रक्रियाधीन हैं।

32. राज्य की कच्ची बस्तियों में सुधार एवं आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने की दृष्टि से इन बस्तियों में 15 अगस्त, 2009 तक बसे हुए परिवारों का सर्वे करवाया जा रहा है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि कच्ची बस्तियों में 300 वर्गगज तक के भूखण्डों का नियमितीकरण किया जाए और राजीव आवास योजना के तहत योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किया जाए। जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख शहरों में आधारभूत विकास हेतु 49 परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं।

33. खनिजों की उपलब्धता के लिहाज से राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है। मुझे खुशी है कि खनिज दोहन से राजस्व में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्षों में राज्य के जैसलमेर, नागौर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पूर्व परीक्षण द्वारा सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के पर्याप्त भण्डार सिद्ध किए गए हैं। खनिज आयरन आधारित मूल्य संवर्धन संयंत्र तथा लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

34. राज्य में पेट्रोलियम सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति आर्थिक विकास की दृष्टि से शुभ संकेत है। बाड़मेर-सांचोर बेसिन, बीकानेर-नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन के अन्तर्गत 21 ब्लाक अन्वेषण हेतु तथा 10 क्षेत्र दोहन एवं विकास हेतु आबंटित किए गए हैं। इसके साथ-साथ राज्य सरकार प्रदेश में रिफाइनरी की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है।

माननीय सदस्यगण,

35. मुझे खुशी है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2010-11 के लिए दलहनी फसलों के अधिकतम उत्पादन के फलस्वरूप राजस्थान राज्य को एक करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। देश में राजस्थान प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत करने वाला पहला राज्य है।

36. राज्य में प्रमाणित बीज उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर नये बीज विधायन केन्द्र व गोदाम निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है।

37. सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निर्वाचित संचालक मण्डलों का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस वर्ष ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराए गए।

38. प्रदेश की विशाल एवं बहुमूल्य पशु सम्पदा की महत्ता को बनाये रखने के लिए 'पशुधन विकास नीति' तैयार की गई है। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्था नहीं हैं, में प्रत्येक माह एक पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातक एवं पशुधन सहायकों को रोजगार के नवीन अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

39. मुझे खुशी है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य में संस्थागत प्रशिक्षण देकर कुशल वाहन चालक तैयार करने हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से रेलमगरा जिला राजसमन्द में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इसी परिसर में वाहनों की फिटनेस जांच हेतु आधुनिक कम्प्यूटराइज्ड फिटनेस सेन्टर की स्थापना भी की जा रही है।

40. राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सभी संभाग मुख्यालयों पर ई-स्टेम्पिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

41. राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2011-2012 में कर निर्धारण प्रक्रिया को सरलीकृत किया है व डीम्ड कर निर्धारण सम्पूरित किए जाकर व्यवसायियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर जिलों में पावरलूम सेक्टर को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों द्वारा क्रय किए जाने वाले यार्न पर देय कर में 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

42. राज्य के सभी कोषालयों एवं उप कोषालयों में आनलाइन बिल पारित किए जा रहे हैं तथा राज्य की आय एवं व्यय की सूचना किसी भी समय आनलाइन देखी जा सकती है।

43. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृतियों एवं भुगतान हेतु आनलाइन प्रणाली भी पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ कर दी गई है। इसके तहत आनलाइन वेतन बिल माड्यूल को मार्च, 2012 से राज्य के समस्त कोषालयों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

44. राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, स्थापत्य, किले, महल और देवालय देशी-विदेशी पर्यटकों को यहां आने के लिए आकृष्ट करते हैं। राज्य में देशी विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है। राज्य के उदयपुर को भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल चयन होने पर राजस्थान को 'कोन्डे नास्ट ट्रेवलर अवार्ड' से नवाजा गया है। जन्तर-मन्तर को यूनेस्को की वर्ल्ड

हैरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया है। राज्य में ''एडवेंचर ट्यूरिज्म'' को बढ़ावा दिए जाने के लिए डेजर्ट सफारी, सिलिसेढ़ में वाटर स्पोर्टस, लाखेला तालाब-कुम्भलगढ़ में नौकायन तथा अन्तरराष्ट्रीय पतंग एवं बैलून महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन इकाई नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भूमि का आबंटन स्थानीय क्षेत्र की डी.एल.सी. दरों पर किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

45. मुझे खुशी है कि प्राचीन कला वैभव की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जन्तर-मन्तर जयपुर, फतेहगंज गुम्बद-अलवर, डीग किला-भरतपुर, बाला किला-अलवर, संग्रहालय आहड़-उदयपुर, संग्रहालय-जैसलमेर एवं अलबर्ट हाल-जयपुर के संरक्षण एवं विकास के कार्य करवाए गए हैं। डांग ट्यूरिस्ट सर्किट योजनान्तर्गत चौबुर्जा किला, कुम्हेर महल, किशोरी महल भरतपुर में संरक्षण कार्य चालू है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में ऐतिहासिक व रेवेन्यू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन व माइक्रोफिल्मिंग का कार्य हो चुका है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में हस्तलिखित ग्रन्थों के डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है।

46. राज्य में चिकित्सा सुविधा का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि की गई है। ब्लड बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन एवं आनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती की जाकर पदस्थापन किए जा चुके हैं।

47. 'मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना' के अन्तर्गत राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, एचआईवी एड्स के मरीजों, वृद्ध, विधवा तथा विकलांग पेंशनरों, नवजीवन योजना, अंत्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के लाभान्वितों, कथौड़ी जनजाति, सहरिया एवं मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका के परिवारों को सम्पूर्ण नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष से थैलेसीमिया एवं हिमोफीलिया के रोगियों को भी 2 अक्टूबर, 2011 से नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही

बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के नि:संतान दम्पत्तियों को यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च भी इस योजना के तहत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना से अब तक प्रदेश के लगभग एक करोड़ 3 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।

48. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु 108 एम्बुलेंस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों की सभी पंचायत समितियों में 464 एम्बुलेंस के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। राज्य के रेगिस्तानी एवं आदिवासी जिलों के दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सुविधा हेतु 'राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल मोबाइल सर्विस योजना' चलाई जा रही है। एनआरएचएम के अन्तर्गत 104 चिकित्सा परामर्श सेवा प्रारम्भ की गई है। राज्य में गर्भवती महिला एवं शिशु टीकाकरण की आनलाइन ट्रेकिंग करने के लिए प्रसव पश्चात् हुए बच्चे के टीकाकरण की मानिटरिंग आनलाइन शुरू की गई है, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में 15 दिसम्बर, 2011 से हेपेटाईटिस-बी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की दीर्घगामी सुरक्षा के लिये यह एक अहम कदम है।

49. जयपुर में कार्यरत आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के कार्यालयों हेतु 'आयुष भवन' का निर्माण किया जा रहा है । डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद चिकित्सालय एवं छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जा रहा है।

50. राज्य में बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिए जहां राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं वही नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत सभी गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण कार्य होता है, में कक्षा 1 अथवा प्री-स्कूल में कुल प्रविष्ट बालकों के 25 प्रतिशत ''दुर्बल वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी किया गया है।

51. बालिका शिक्षा को प्रोजेक्ट करने के लिए वर्ष 2011-12 में कक्षा 10 के साथ-साथ कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को

मुफ्त साइकिल योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है। अब तक लगभग एक लाख 11 हजार साइकिलों का वितरण हो चुका है। 'साक्षर भारत कार्यक्रम' 31 जिलों में लागू कर दिया गया है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ें 186 ब्लाक्स में से 91 ब्लाक्स में माडल स्कूलों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2011-12 से कक्षा 8, 10 एवं 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करवाया गया है और इसी के क्रम में वर्ष 2012-13 से कक्षा 6 व 7 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है।

52. राज्य में स्काउटिंग व गाइडिंग गतिविधियों का निजी विद्यालयों में भी विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने पर 'राष्ट्रीय आयुक्त' शील्ड से स्काउट संगठन को प्रथम एवं गाइड संगठन को द्वितीय स्थान घोषित कर सम्मानित किया गया है।

53. राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में 8 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स स्थापित किया गया है। किशनगढ़ में निजी सहभागिता के आधार पर महिला महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। 'देवनारायण योजना' के अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के लाभार्थ नादोती में राजकीय सह शिक्षा महाविद्यालय एवं बयाना में महिला महाविद्यालय तथा महिला छात्रावास प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है। अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं, पीटीआई, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं अन्य कार्मिक के कुल 1485 लोगों को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में समायोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार निजी स्कूलों के 6 हजार 65 कार्मिकों को भी सरकारी सेवा में समायोजित किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

54. मुझे खुशी है कि राज्य में प्रबन्धन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आई.आई.एम. का मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में स्वयं का भवन निर्मित होने तक अस्थाई रूप में शुभारम्भ किया गया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आदिवासी क्षेत्र (सहरिया जाति) के लिए शाहबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा में एक पालीटेक्निक महाविद्यालय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए उदयपुर में एक पालीटेक्निक तथा

बांसवाड़ा में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई.आई.आई.टी. संस्थान की स्थापना कोटा शहर में की जा रही है।

55. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'राजीव गांधी विज्ञान क्लब योजना' के अन्तर्गत 5 हजार विज्ञान क्लबों की स्थापना की योजना है। जयपुर व झालावाड़ में विज्ञान पार्क स्थापित किए गए हैं। बायोगैस आधारित 'पावर जनरेटर कार रूरल एप्लीकेशन परियोजना के अन्तर्गत बायोगैस एनरिचमेट प्लांट की जोधपुर में स्थापना की गई है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में 300 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । 51 स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

56. मुझे प्रसन्नता है कि मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों एवं शिक्षा गारन्टी केन्द्रों में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए कुक कम हेल्पर के रूप में कार्यरत व्यक्तियों में ज्यादातर महिलाएं हैं जिन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है।

57. अन्तरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन परियोजना संचालित की जा रही है । महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघु व सीमांत काश्तकारों को स्वयं के खेत पर कार्य कराने के लिए 'अपना खेत, अपना काम' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

58. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्रामस्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्रामीण विकास की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ और अधिकार सम्पन्न बनाकर सक्रिय किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए आम जनता से जुडे पांच विभागों को प्रभावी रूप से हस्तान्तरण के लिए राज्य को प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं डेढ़ करोड़ की राशि प्रदान की गई है। पंचायत समितियों में रिक्त कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। पंचायतों को इस वर्ष एक हजार करोड़ रुपये की

राशि हस्तान्तरित की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु पीसा (PESAA) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम-2011 अनुसूचित किए गए हैं।

59. राज्य में कस्टोडियन भूमि की खातेदारी की समस्या बहुत लम्बे समय से चली आ रही थी । अतः राज्य सरकार द्वारा कस्टोडियन कृषि भूमि के पूर्व आबंटियों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम में संशोधन कर बाजार कीमत की 25 प्रतिशत के बजाय नाम मात्र की राशि निर्धारित कर काश्तकारों को राहत प्रदान की गई है। काश्तकारों को अपने खेत में जाने के लिए कानून में संशोधन करके रास्तों का प्रावधान किया गया है।

60. प्रदेश में राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण (NLRMP) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में मैप डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है, इसके तहत टोंक जिले की समस्त तहसीलों के नक्शों को डिजिटाइड करने का कार्य NIC द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

61. राजस्थान के पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों को संविदा के आधार पर नियोजन दिलवाने, उन्हें स्वावलम्बी बनाने एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान एक्स सर्विसमेन कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम होगा।

62. प्रदेश के लिए यह गौरव की गात है कि राजस्थान की क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार 'रणजी ट्राफी' में चैम्पियन बनकर प्रदेश की समृद्ध खेल परम्पराओं में एक नया अध्याय जोड़ा है। मैं अपनी ओर से एवं आप सबकी ओर से विजेता टीम के सभी सदस्यों एवं टीम प्रबंधकों को हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य सरकार द्वारा इस उपलब्धि के लिए राजस्थान क्रिकेट टीम को इस वर्ष एक करोड 11 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

63. राज्य सरकार प्रदेश में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने राष्ट्रमण्डल व एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के सम्मान एवं पुरस्कार का सिलसिला प्रारम्भ

किया है। जोधपुर में मल्टीपरपज इण्डोर स्टेडियम निर्माणाधीन है। राज्य के छह स्थानों पर डे-बोर्डिंग कोचिंग स्कीम, एस.एम.एस. स्टेडियम में फिटनेस सेन्टर के साथ ही झुंझुनूं में पी.पी.पी. मोड पर Physical Education and Sports University व भरतपुर में खेल संकुल की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देते हुए 'राजीव गांधी यूथ क्लब' का गठन किया जा रहा है।

64. घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर पर 25 रुपये प्रति सिलेण्डर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष 125 करोड़ रुपये का व्यय भार राज्य सरकार वहन कर रही है। सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर 54 पैसे की रियायत दी है, जिससे उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपये की राहत मिल रही है।

65. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार कर कमजोर, पिछड़े, गरीब और अशक्त लोगों को सुरक्षा कवच के दायरे में लाया गया है, जिससे इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में पहली बार 'विशेष योग्यजन निदेशालय' की स्थापना की जा रही है तथा नि:शक्तजन नीति शीघ्र लागू की जाएगी। नि:शक्तजनों के राजकीय सेवाओं में आरक्षण हेतु राजस्थान नि:शक्त व्यक्ति नियम-2011 लागू किए जा चुके हैं।

66. 'पालनहार योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष सहायता उपलब्ध कराकर 47 हजार से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है। 'अनुप्रति योजना' के अन्तर्गत लगभग 400 अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। गाडिया लोहारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु सहायता राशि 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये की गई है। 'महाराणा प्रताप मकान निर्माण सहायता योजना' में गाडिया लोहारों को दी जाने वाली सहायता 35 हजार से बढाकर 45 हजार रुपये की गई है।

67. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से राज्य में दो लाख बीस हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है और इन समूहों को प्राथमिकता से वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिए जा रहे हैं और ऋण पर देय ब्याज की पचास प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य के सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य राजकीय अस्पतालों में प्रसव कराने

वाली महिलाओं को 'कलेवा योजना' के अन्तर्गत तीन दिन निःशुल्क गरम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

68. राज्य में स्थापित नये अल्पसंख्यक विभाग ने अपने पहले वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय शुरू किए गए हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भारी इजाफा हुआ है। राज्य सरकार की नई मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। जयपुर, कोटा एवं अजमेर में कन्या छात्रावास आरम्भ किए गए हैं। राजस्थान नालेज कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अल्पसंख्यक युवकों एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्पसंख्कय समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए 'अनुप्रति योजा भी लागू की गई है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के 10 स्थानों पर राजकीय आई.टी.आई. स्थापित कर जुलाई, 2011 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

69. श्रम कल्याण के लिए राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स, बीड़ी निर्माण व नरेगा श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा दुर्घटना पर तत्काल सहायता योजना, समूह बीमा योजना, महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा सहायता योजना, हिताधिकारी की पुत्री एवं स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना, हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

70. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अलवर जिले में खनन एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अलवर जिले का पर्यावरणीय मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है।

71. पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत 'राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व' की स्थापना हेतु मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है। वन्य जीवों एवं वन सम्पदा के संरक्षण हेतु लगभग 508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ''कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान'' घोषित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में युवकों को समिति के माध्यम से ''वन मित्र'' के रूप में मानदेय पर लगाया जा रहा है।

72. राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक एवं पुण्यार्थ गठित प्रन्यासों के माध्यम से लोक सरोकारों की नई संस्कृति विकसित करने हेतु कृत संकल्प है। गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अनुरूप शिक्षा, चिकित्सा व विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु लोक प्रन्यासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रीनाथद्वारा मन्दिर मण्डल व सांवलियाजी मन्दिर मण्डल द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मंदिर श्री तेजाजी-नागौर में नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

73. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 155 नये पदों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों को 'मेडिक्लेम और दुर्घटना समूह बीमा योजना' उपलब्ध कराने के लिए भी योजना लागू की है।

74. न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटाने में होने वाले विलम्ब को कम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जोधपुर शहर को महानगर घोषित होने के फलस्वरूप जोधपुर में एक जिला न्यायालय, एक सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड न्यायालय तथा जयपुर में दो सी.बी.आई. न्यायालयों की स्थापना की गई है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के नये भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। वादकरण के प्रभावी प्रबंधन हेतु स्टेट लिटिगेशन पालिसी, 2011 बनाई गई है।

75. राज्य में वर्ष 2011 के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2011-12 में पुलिस बल हेतु उपकरण, वाहन, हथियारों एवं निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीय अंशदान के रूप में भारत सरकार द्वारा 52 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु 24 जिलों में प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। इसके लिये राज्य के 17 जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन भी किया गया है।

76. माननीय सदस्यगण इस सत्र में कई विधेयकों के साथ-साथ निम्न वित्तीय एवं विधायी कार्य तथा अध्यादेशों के प्रति स्थापक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे :-

1. वर्ष 2012-13 के लिये आय-व्ययक अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से संबंधित कार्य।

2. वर्ष 2011-12 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित कार्य।

77. हमारी सरकार आम आदमी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए संकल्पवान होकर कार्य कर रही है। बेहतर और पारदर्शी शासन के साथ सुशासन की स्थापना की दिशा में कई नवाचारों के साथ निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। अपने वायदे के अनुरूप हमारी सरकार नये राजस्थान के नव-निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए कटिबद्ध है, इस दिशा में अब तक किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

78. शासन में पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए हैं। इन दोनों पहियों के निरन्तर गतिशील रहने से ही लोकतंत्र प्राणवान और गतिवान बनता है। इस सदन के सभा माननीय सदस्यों का समान उद्देश्य है। आप सभी प्रदेश के समग्र विकास, समृद्धि और खुशहाली के साथ आमजन की गरिमा को बढ़ाने के लिए निरन्तर चिन्तन-मनन में अभिरुचि रखने के पक्षधर है। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के हित चिन्तन के लिए किए जाने वाला सामूहिक विचार-विमर्श प्रदेश की नीतियों और कार्यक्रमों को लोकहित में और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन में उपयोगी और महत्वदायी सिद्ध होगा।

माननीय सदस्यगण,

79. अंत में मैं ऋग्वेद की ऋचा के भावों में आपके प्रति यह शुभ कामना व्यक्त करता हूं-

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।

अब सबके संकल्प समान हों, आप सबके हृदयों की धड़कन समान प्रेरणा से जुडी हों। अतः इस कार्य में आपके मानस समान रूप से हित चिंतन करें, जिससे जनहित में आप सबका सहकार मिल सके।

जय हिन्द!